

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 30 /2025

दिनांक 03.02.2025

श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ00612), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर को दिनांक 15.02.2025 से 07.03.2025 तक 21 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिन्दल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
03/02/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/69/2008/1049

दिनांक 03.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 872 दिनांक 04.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ00612), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर।

03/02/25
सहायक रजिस्ट्रार